5

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : के0सी0 जैन

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–4300–दो/2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–10–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा प्रकरण क्रमांक–845/अपील/10–11.

.....

अरविन्द तनय स्व0 लक्ष्मण मल्लाह
निवासी कृपालपुर तहसील रघुराजनगर
जिला सतना म0प्र0

————आवेदकगण

विरूद्ध

1. रामकरण तनय स्व0 लक्ष्मण मल्लाह
2. संतोष तनय स्व0 लक्ष्मण मल्लाह
3. गीता पुत्री स्व0 लक्ष्मण मल्लाह
4. मुस0 बिमला बेवा स्व0 लक्ष्मण मल्लाह,

सभी निवासी कृपालपुर तहसील रघुराजनगर
जिला सतना म0प्र0

————अनावेदकगण

.....

श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदक 1 एवं 2
श्री दिलीप जोशी, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 3 व 4

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 05 सितम्बर 2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग के आदेश दिनांक 23–10–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार रघुराजनगर के नामांतरण पंजी कमांक 163 आदेश दिनांक 20–5–2010 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 22–3–11 को अधीनस्थ न्यायालय के

आदेश को निरस्त करते हुये पंजीकृत वसीयतनामा के साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के परीक्षण हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया, जिससे व्यथित होकर आवेदक ने द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष पेश की गई। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 23—10—13 के द्वारा अपील खारिज की गई तथा अनुविभागीय अधिकारी का ओदश स्थिर रखा। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत यह बताया है कि अनावेदक द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र एवं शपथपत्र के प्रस्तुत नहीं की गई थी, जबकि अपील 13 दिन विलम्ब से पेश की गई थी। यह भी तर्क दिया कि प्रश्नाधीन आराजीयात के पूर्व भूमिस्वामी स्व0 लक्ष्मण मल्लहा थे, और मल्लाह पढे लिखे थे और वह अन्य शासकीय दस्तावेज एवं अन्य कागजों पर हमेशा हस्ताक्षर करते थे, लेकिन अनावेदक कमांक 1 व 2 के द्वारा जो प्रकरण में वसीयत प्रस्तुत की गयी है उसमें लक्ष्मण प्रसाद ने निशानी अंगूठा लगाकर वसीयत किया है, जो अपने आप में संदेहास्पद प्रतीत होती है तथा स्व0 लक्ष्मण प्रसाद के द्वारा अपने अन्य परिवारों के साथ किसी भी प्रकार का कोई आज दिनांक तक बटवारा नहीं किया है और यदि बटवारा किया गया है तो गैर निगराकार कमांक 1 व 2 का दायित्व था कि वह बटवारे से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करते। स्व0 लक्ष्मणप्रसाद की जो सम्पूर्ण पैत्रिक आराजियात थी उसको अनावेदक कमांक 1 व 2 के द्वारा फर्जी रूप से वसीयत तैयार कर अपने नाम नामांतरण कराने के फिराक में है जो विधि की मंशा के विपरीत है और उक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के अनुसार न होने से निरस्त किये जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा कि आराजी कमांक 1084 एवं 1085 जो मौजा कृपालपुर में है उक्त आराजी को अनावेदक कमांक 1 व 2 के द्वारा वसीयत करवाया गया है, उक्त आराजी को स्व0 लक्ष्मण प्रसाद ने अपने जीवनकाल में ही उक्त आराजी को विकय कर दिया था। स्व0 लक्ष्मण प्रसाद के तीन लड़के एक पत्नी और एक पुत्री है जिसका आज तक लक्ष्मण प्रसाद के

द्वारा किसी भी तरह का विधिक विभाजन नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में बिना विधिक विभाजन किये स्व0 लक्ष्मण प्रसाद को वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत वसीयत अपने आप में संदेहास्पद प्रतीत होती है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश निरस्त किये जाये। तर्क के समर्थन में 2015 एमपीडब्लूएन 45, एमपीवीकली नोट 193 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

4/ अनावेदक कमांक 1 एवं 2 के अभिषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि ग्राम कृपालपुर तहसील रघुराजनगर स्थित भूमि का वारिसाना नामांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया जिसकी जानकारी होने पर तहसीलदार रघुराजनगर के समक्ष इस आशय की आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया कि उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा कमांक 957/2959/2 को छोडकर शेष भूमि का वसीयतनामा स्व0 लक्ष्मण मल्लाह ने अपने जीवनकला में गैरनिगरानीकर्ता कमांक 1 व 2 यानी रामकरण मल्लाह व संतोष कुमार मल्लाह के नाम दिनांक 01 अक्टूब 2008 को उपपंजीयक कार्यालय सतना के समक्ष रूबरू गवाहान पंजीबद्ध कराकर निष्पादित कराया था, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उपरोक्त वर्णित भूमियों का नामांतरण जरिये वसीयतनामा अनावेदक कमांक 2 के हक में किया गया व वारिसाना नामांतरण की कार्यवाही जो हल्का पटवारी द्वारा की गई। यह भी तर्क किया कि अनावेदकों को आदेश की जानकारी प्राप्त होने पर अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा नामांतरण रोके जाने हेतु तहसीलदार के समक्ष आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया कि उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा कमांक 957/2959/2 को छोडकर शेष भूमि का वसीयतनामा स्व0 लक्ष्मण मल्लाह ने अपने जीवनकाल में अनावेदक कमांक 1 व 2 के नाम दिनांक 01—10—2008 को उपपंजीयक कार्यालय सतना के समक्ष निष्पादित कराया था इसलिये उनकी मृत्यु के बाद उपरोक्त वर्णित भूमियों का नामांतरण जरिये वसीयतनामा अनावेदक कमांक 2 के हक में किया गया। यह भी तर्क दिया कि स्व0 लक्ष्मण मल्लाह ने जो अनावेदक कमांक 1 एवं 2 के पिता है द्वारा अपने जीवन काल में स्वअर्जित संपत्ति का रजिस्टर्ड वसीयत

के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि प्रदान की थी। इसलिए तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील को ग्राह्य करने एवं अपर आयुक्त द्वारा उक्त आदेश की पुष्टि करने में उचित कार्यवाही की है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ अनावेदक कमांक 3 एवं 4 के अभिभाषक द्वारा आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों का समर्थन किया तथा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

6/ उभयपक्ष के तर्क सुने गये तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया। पंजी के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 4–5–10 को इश्तहार जारी किया गया है इसके पश्चात आपत्ति प्राप्त न होने पर आदेश दिनांक 20–5–2010 के द्वारा आवेदक एवं अनावेदकगण के नाम वारिसान नामांतरण स्वीकृत किया गया है। आवेदक अभिभाषक द्वारा उठाया गया है यह तर्क मान्य किये जाने योग्य है अनावेदक द्वारा अपील के साथ म्याद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन मय शपथपत्र के प्रस्तुत नहीं किया गया, के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख का अवलोकन किया। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक कमांक 1 व 2 ने दिनांक 21–7–10 को अपील प्रस्तुत की है तथा म्याद अधिनियम की धारा 5 एवं शपथपत्र दिनांक 25–2–11 का संलग्न है। स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा म्याद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन एवं शपथपत्र बाद में प्रस्तुत किया गया है जबकि जब अपील समय–सीमा में प्रस्तुत नहीं की जा रही हो तब म्याद अधिनियम की धारा 5 एवं शपथपत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में 1996 आर.एन0 257 जिला पंजीयक सहकारी बैंक मर्यादित विरूद्ध काशी प्रसाद गुप्ता में इस न्यायालय द्वारा इस आशय का न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि–

"विलम्ब के लिऐ आवेदन पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत नहीं किया गया – 5 दिन का विलम्ब भी क्षमा नहीं किया जा सकता है ।"

अतः अनुविभागीय अधिकारी ने 18 दिन विलम्ब से प्रस्तुत अपील को बिना म्याद अधिनियम की धारा 5 एवं शपथपत्र के समय–सीमा में मान्य करने त्रुटिपूर्ण कार्यवाही की है। जहां तक आवेदक द्वारा उठाये गये इस तर्क का प्रश्न है कि अनावेदक कमांक 1 व 2 की ओर से उनके पक्ष में संपादित जो वसीयत प्रस्तुत की गई है, उसमें प्रस्तुत आराजी कमांक 1084 एवं 1085 भी सम्मिलित की गई है जबकि उक्त आराजी स्व0 लक्ष्मण मल्लाह अपने जीवनकाल में ही विकय कर चुके हैं मान्य किये जाने योग्य है क्योंकि नामांतरण पंजी कमांक 163 में सर्वे कमांक 1084 एवं 1085 अंकित नहीं है अर्थात उक्त आराजी तत्समय स्व0 लक्ष्मण मल्लाह के नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित नहीं थी। इससे अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत वसीयत भी संदिग्ध प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा स्व0 लक्ष्मण मल्लाह द्वारा हस्ताक्षर करने तथा प्रश्नाधीन वसीयत पर अंगूठा लगा होना भी जांच का विषय है। चूंकि तहसील न्यायालय द्वारा सभी वारिसों के नाम वारिसाना नामांतरण किया है इसलिए उक्त नामांतरण को कपटपूर्ण नहीं माना जा सकता। उपरोक्त बिन्दुओं पर अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा गंभीरतपूर्वक बिना विचार पारित आदेशों को विधिसंगत एवं न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता है इसलिए दोनों आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर का आदेश दिनांक 22–3–11 एवं अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 23–10–13 निरस्त किये जाते हैं। तहसीलदार रघुराजनगर द्वारा पंजी कमांक 163 पर पारित आदेश दिनांक 20–5–2010 स्थिर रखा जाता है।

(के0सी0 जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर